



केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली
संसद के अधिनियम के द्वारा स्थापित
Central Sanskrit University, Delhi
Established by An act of Parliament
शैक्षणिक विभाग/Academic Section

पत्रांक 8-2/CSU/Acd/Mis/2019-20

दिनांक : 30/06/2020

अधिसूचना

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली के सभी परिसर, सम्बद्ध महाविद्यालय एवं विद्यालयों में 01 जुलाई 2020 से सभी कार्यरत अध्यापकों/अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति के सन्दर्भ में उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन मन्त्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. 16-6/202-U1A दिनांक 30/06/2020 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। (पत्र संलग्न)

इस अवधि में पाठ्यक्रम का online माध्यम से अध्यापनार्थ समस्त अध्यापक परिसर निदेशक/ सम्बद्ध महाविद्यालय/विद्यालय प्राचार्य के निर्देशानुसार पाठ्यसामग्री/प्रश्न बैंक/वीडियो/आडियो व्याख्यान आदि का निर्माण करेंगे।

छात्रों हेतु परिसर, सम्बद्ध महाविद्यालय एवं विद्यालय 31 जुलाई 2020 अथवा अग्रिम आदेश पर्यन्त बन्द रहेंगे। 15 जुलाई 2020 के उपरान्त प्रवेश प्रक्रिया हेतु निर्देशित किया जाएगा।

दिनांक 01 -15 जुलाई 2020 के मध्य परीक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त निर्देशों (के.सं.वि./परीक्षा/कोविड/2022-21/903 दिनांक: 29/06/2020)का पालन करते हुए छात्रों का परीक्षा परिणाम मुख्यालय को यथा समय प्रेषित करें।

वर्तमान COVID-19 की परिस्थिति को देखते हुए 31/07/2020 तक समस्त परिसरों में शैक्षणिक गतिविधियों हेतु भारत सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं प्रान्त सरकार के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए परिसर निदेशक/ सम्बद्ध महाविद्यालय/विद्यालय प्राचार्य आवश्यक कार्यवाही करें।

उक्त अधिसूचना अधिकारी की स्वीकृति से निर्गत की गई है।

(डा. देवानन्द शुक्ल)
उपनिदेशक (शै.)